

फर्द अहकाम

न्यायालय

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

पुद्दला सधप बनाम मंगला राठ

मुकदमा संख्या / वर्ष

नं. 39 / 2019

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	30/5 2024	<p>पत्रावली पेशद्वारा (कॉफ.उप.0) उक्त फर्द अधिवक्तागण की प्राप्ति पर खसस सुनी गई। हमें पत्रावली व खसस में उल्लेखित तर्कों का अवलोकन व मनन किया, विवेचन से प्राप्तिगण के पक्ष में प्रत्यक्ष दृष्टया केस साबित नहीं होता है, प्राप्तिगण के अपने तर्कों को साबित करके के लिए कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। प्राप्तिगण अपने तर्कों को स्वयं अपने सहयोग से सिद्ध करें। अतः प्राप्तिगण के पक्ष अपूरणीय शक्ति प्राप्त होगी प्रतीत नहीं होता है। अतः अप्राप्तिगण को अस्वार्थ निषेधाज्ञा से जाब-उदा करके जोर पर प्राप्तिगण को किसी प्रकार की असुविधा व अपूरणीय शक्ति होने की संभावना नहीं है। अतः प्राप्तिगण का प्राप्तिगण पर अस्वार्थ निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली केवल शुद्ध होकर कार्यालय दफ्तल हो।</p>	



सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर